

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1159]	नई दिल्ली, बुधवार, मई 28, 2014/ ज्येष्ठ 7, 1936
No.1159]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 28, 2014/JYAISTHA 7, 1936

गृह मंत्रालय
(आन्तरिक सुरक्षा-I प्रभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली 8 मई, 2014

का.आ. 1404(अ).—चूँकि केन्द्र सरकार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) जिसे आगे इसमें उक्त अधिनियम कहा जाएगा, की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 01 सितम्बर, 2010 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग- II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 01 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 2155 (अ) के द्वारा पंचकुला स्थित वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के उद्देश्य से संपूर्ण हरियाणा राज्य में अनुसूचित अपराधों के मामले चलाने के लिए क्षेत्राधिकार युक्त विशेष न्यायालय के तौर पर अधिसूचित किया था;

तथा चूँकि, सुश्री गुरविन्दर कौर, वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, पंचकुला, जिन्हें दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग- II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3272 (अ) द्वारा उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता हेतु न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया ।

अतः अब, केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II खण्ड-3, उप खण्ड- (ii) में प्रकाशित दिनांक 28 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना सं. 3272 (अ.) का अतिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों का छोड़कर जो ऐसे अतिक्रमण के पूर्व की गई हों या करने हेतु छोड़ दी गई हों, माननीय न्यायमूर्ति, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ की सिफारिश पर श्री राजेश गर्ग, वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, पंचकुला को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता हेतु एतद्वारा नियुक्त करती है।

[फा.सं. 17011/50/2009-आई एस-VI (IV)]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2014

S.O. 1404(E).— Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), hereinafter referred to as the said Act, the Central Government, had, vide notification number S.O. 2155 (E), dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st September, 2010, notified the Court of Senior Most Additional Sessions Judge at Panchkula as the Special Court for the purpose of sub-section (1) of section 11 of the said Act having Jurisdiction throughout the State of Haryana for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Ms. Gurvinder Kaur, Senior Most Additional Sessions Judge, Panchkula, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court vide notification number S. O. 3272 (E), dated 28th October, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 29th October, 2013 has been transferred.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the said Act and in supersession of the notification number 3272 (E), dated 28th October, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 29th October, 2013, except as respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of Punjab and Haryana High Court, Chandigarh, hereby appoints Shri Rajesh Garg, Senior Most Additional Sessions Judge, Panchkula as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.VI (IV)]

RAKESH SINGH , Jt. Secy.